## न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

**पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.**

**प्रार्थना पत्र संख्या– 13/2025**
**जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/18**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान। | | श्री चन्द्र शेखर पुत्र श्री प्रहलाद निवासी मौलासर मैसर्स श्री पण्डित कचौरी हाउस बस स्टेण्ड मौलासर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।**

उपस्थितः–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम
2. अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री ओम प्रकाश पूनिया।

**–:आदेशः–** दिनांक : 17.02.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 13.01.2025 को श्री उपेन्द्र ढाका जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन एवं प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराम चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह जाखड़ द्वारा मैसर्स श्री पण्डित कचौरी हाउस बस स्टेण्ड मौलासर पर आकस्मिक जाँच की कार्यवाही की। मौके पर श्री चन्द्र शेखर पुत्र प्रहलाद निवासी मौलासर उपस्थित मिले, जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया एवं बताया कि यह होटल श्री चन्द्र शेखर संचालित करते है। मौके पर दुकान मे 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। श्री चन्द्र शेखर से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार [illegible] दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया श्री [illegible] द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं [illegible] किये गये 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय [illegible] हुए मौके पर जब्त [illegible] किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण [illegible]नुसार है :–

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

| क्र.सं. | नाम कम्पनी | एस.आर.नं. | गैस वजन |
|---|---|---|---|
| 1. | इण्डेन | 318066–E | 8 किग्रा |
| 2. | इण्डेन | 048430–E | 9 किग्रा |

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स मौलासर इण्डेन ग्रामीण वितरक मौलासर के प्रतिनिधि श्री लखन प्रजापत की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री चन्द्र शेखर का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री ओम प्रकाश पूनियां ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री चन्द्रशेखर द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 02 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को मैसर्स मौलासर इण्डेन ग्रामीण वितरक मौलासर के प्रतिनिधि श्री लखन प्रजापत को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दोनों गैस सिलेण्डर घरेलु गैस सिलेण्डर है जिनकों बस स्टेण्ड की दुकान पर रखा हुआ था। जिनका उपयोग घरेलु कार्य के लिए ही किया जाता है व्यवसायिक कार्य के लिए इन सिलेण्डरों का उपयोग नहीं किया जाता है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन कि उक्त दोनों घरेलु गैस सिलेण्डर दुकान पर रखे हुए थे जबकि व्यवसायिक दुकान पर घरेलु गैस सिलेण्डर रखना नियम विरूद्ध है। उक्त सिलेण्डर में से एक सिलेण्डर में 8 किग्रा. तथा दुसरे सिलेण्डर में 9 किग्रा. गैस थी जिससे भी स्पष्ट है कि उक्त दोनों सिलेण्डर व्यवसायिक कार्य में ही उपयोग में लिये जा रहे थे। फर्द मौके के अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री चन्द्रशेखर के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना तथा मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.03.03 10:29:20 IST
Reason: SelfAttested